

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 सितम्बर 2013—भाद्र 21, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-3-46-2012-1-पांच (47).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 84-के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-03-46-2012-1-पांच(42),
दिनांक 3 अगस्त 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक और शब्द “1 जुलाई, 2013” के स्थान पर, अंक और शब्द “15 अक्टूबर, 2013” स्थापित
किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-3-46-2012-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की
अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-46-2012-1-पांच (47), दिनांक 12 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा
प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 12th September 2013

No. F-A-3-46-2012-1-V (47).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 84-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-A-03-46-2012-1-V-(42), dated 3rd August 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for the figure and word “1st July, 2013”, the figure and word “15th October, 2013” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.